अध्यापकों द्वारा कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण सृजित न कर पाने की समस्या-एक क्रियात्मक शोध

केवलानंद काण्डपाल*

हमारे विद्यालयों में प्रारम्भिक कक्षाओं का बहु-कक्षीय एवं बहु-श्रेणी स्वरूप एक यथार्थ व्यवहारिकता है। इसी कारण कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की आवश्यकता की विविधता को संबोधित करना एवं कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण का सृजन करना अध्यापक के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। भारतीय संदर्भ में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' बच्चे के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस अधिनियम में स्पष्ट निर्देशन है कि किसी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और यह भी कि विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा। इस स्पष्ट निर्देशन के आलोक में बच्चे की शैक्षिक प्रगति का सतत् एवं व्यापक आँकलन बहुत प्रासंगिक हो जाता है। एक ऐसी विविधतापूर्ण कक्षा में जहां बहु-श्रेणी एवं बहु-स्तर के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों से परिचालित विभिन्न स्तर मौजूद हों, बच्चे की सीखने की सतत् प्रगति एवं व्यापक पहलुओं का आँकलन वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए अध्यापक द्वारा विषयगत अधिगम स्तर का आँकलन करने हेतु उपकरणों ***(Tools)*** का निर्माण, बच्चे के अधिगम स्तर का आँकलन एवं आँकलन आधारित निष्कर्षों का निरूपण करने की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक है कि अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से समन्वय के क्रम में ये उपक्रम जारी रखने होंगे। उत्तराखण्ड के प्रारम्भिक विद्यालयों में लागू की गयी 'बच्चे की बॉक्स फाइल' को सतत् एवं व्यापक आँकलन हेतु उपयोग में लाने में सकारात्मक संभावनाएं नजर आती हैं। विद्यालयी प्रणाली में उपयोग में लाये जा रहे अभिलेखों (विशेषकर बच्चे की बॉक्स फाइल) को किस प्रकार सतत् एवं व्यापक आँकलन के संदर्भों में व्यवहृत किया जा सकता है, यह क्रियात्मक शोध इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है ।

* *प्रवक्ता*, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बागेश्वर (उत्तराखंड)

पृष्ठभूमि- गोपाल कृष्ण गोखले वह व्यक्ति थे, जिन्होंने आज से एक सौ वर्ष पहले (वर्ष 1910 में ही इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली से यह मांग की थी कि भारतीय बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें एक सदी का समय लगा है। सरकार ने अंततः सभी विसंगतियों को दूर करते हुए 86 वाँ संविधान संशोधन करके संविधान में 21(अ) अनुच्छेद जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। पहली अप्रैल से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम सम्पूर्ण भारतवर्ष (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) लागू भी हो गया है। शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू होने से अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समावेशी कक्षा-कक्ष वातावरण में गुणवत्तायुक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक जवाबदेही है। इस जवाबदेही के क्रम में इस अधिनियम के 'खण्ड 24' में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अध्यापकों की निम्न जवाबदेही निर्धारित की गयी है-

(अ) स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबन्दी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखें।

(ब) खण्ड 29 के उपखण्ड (2) के प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलाएं और पूरा करें।

(स) निर्दिष्ट समयावधि में समूचा पाठ्यक्रम पूरा करे।

(द) हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आँकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करें।

(य) माता-पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करें ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।

(र) वे अन्य कार्यकलाप (जैसा कि निर्धारित किया जाएगा)।

उक्त संवैधानिक जवाबदेही को पूरा करने के लिये अन्य बातों के अतिरिक्त शिक्षक में यह क्षमता होनी भी आवश्यक प्रतीत होती है कि वह अभिभावक, परिवार एवं समुदाय को संवेदीकृत एवं अभिप्रेरित करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन हेतु वातावरण सृजित कर सके। हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा (Dignity of Person) को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। आज इस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक बच्चे के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक बच्चे की विभिन्न प्रकार की विशेषीकृत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण का सृजन करने में सक्षम हो। कक्षा में बच्चों के समावेशन हेतु अध्यापक को पाठ्यचर्या अनुकूलन के क्रम में कक्षा-कक्ष वातावरण, शिक्षण अधिगम सामग्री,

शिक्षण विधियों, विषय सामग्री एवं शिक्षण योजना में अनुकूलन करने की क्षमता होना आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहां पर बच्चों की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सकें। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शिक्षक सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण सृजित करने का कौशल विकसित कर सकें। किन्तु, समावेशी माहौल सृजित करना एक शिक्षक के लिए बड़ी चुनौती है। किसी भी कक्षा में बहुत-सी विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं इन विभिन्नताओं को साथ लेकर शिक्षण कार्य करने का कौशल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। इस क्रियात्मक शोध का संचालन कक्षा-कक्ष में उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग कर, कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण बनाने की दृष्टि से किया गया है।

क्रियात्मक शोध के उद्देश्य- प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिधि में हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशिष्ट बच्चों को रखते हैं। नवीन परिदृश्य में हम सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक दृष्टिकोण से भिन्न बच्चों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। हमारे समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं, वे कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती हैं। बच्चों के साथ उनकी जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के कारण कुछ बच्चे इतना असहज महसूस करते हैं कि वे विद्यालय छोड़कर भी चले जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि कोई बच्चा आर्थिक, सामाजिक या लैंगिक रूप से कमजोर/भिन्न है तो उसकी क्षमताएं भी कम होंगी। हां यह जरूर है कि ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं एवं समस्याएं अन्य बच्चों से भिन्न हो सकती हैं। इन सब बातों की समझ एक शिक्षक को कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण सृजित करने में सहयोग कर सकती है। यह क्रियात्मक शोध समावेशी कक्षा-कक्ष वातावरण सृजित करने के लिये निम्नांकित विशेषीकृत क्षेत्रों में अध्यापक की क्षमता विकास के उद्देश्य से किया गया -

1. कक्षा-कक्ष में बच्चे की अधिगम आवश्यकताओं की पहचान करने की क्षमता का विकास करना।
2. बच्चे की अधिगम आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यचर्या, विषय-वस्तु, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों के अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना।
3. समावेशी कक्षा-कक्ष वातावरण हेतु उपयुक्त सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधि के प्रयोग हेतु आवश्यक क्षमता का विकास करना।
4. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे को आवश्यक पश्चपोषण देने की क्षमता का विकास करना।

क्रियात्मक शोध का महत्त्व- समावेशन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हमेशा से ही चिंतन

का विषय रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्टीय स्तर पर विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बहुत-सी नीतियां, योजनाएं एवं अधिनियम समय-समय पर लागू किए गए हैं। भारत सरकार ने भी विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में इन व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया है। इन व्यक्तियों के उन्नयन हेतु हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान भी खोले हैं। साथ ही इनको विशेष सुविधाएं एवं रियायतें भी दी गई हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इन बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षित एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है। कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण सृजित करने के क्रम में शिक्षक में इस क्षमता का विकास होना जरूरी है कि वह कक्षा के प्रत्येक बच्चे (प्रतिभावान, धीमी गति से सीखने वाले, अधिगम अक्षम) को स्वतंत्र रूप में स्वीकारे। उनकी जरूरतों, क्षमताओं और सीखने के तरीकों को पहचान सके। यह क्षमता अध्यापक में इसलिए भी होनी आवश्यक है जिससे वह कक्षा-कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण-अधिगम के उपयुक्त तौर-तरीके निर्धारित कर सके। इस प्रक्रिया में कक्षा-कक्ष में प्रत्येक बच्चे की खासियत को संसाधन के रूप में शिक्षण-अधिगम हेतु प्रयोग करने की क्षमता भी अध्यापक में होनी आवश्यक है। हर बच्चे का सीखने का एक विशिष्ट तरीका होता है। जब हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या लैंगिक दृष्टि से विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हैं तो सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित कैसे किया जाए, यह सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा लगता है। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण के अंतर्गत विद्यालय के भौतिक वातावरण में अनुकूलन के साथ-साथ कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण का सृजन करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए पाठ्यचर्या, कक्षा-कक्ष प्रक्रिया में क्या महत्त्वपूर्ण बदलाव किए जाने जरूरी हैं? और बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया सुगम किस प्रकार बनाई जा सके, यह एक शिक्षक के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। इन सभी के विषय में शिक्षक को संवेदनशील होना आवश्यक है ताकि शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का आँकलन करते हुए शैक्षिक रणनीतियां तैयार करने की योग्यता, शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण करने का कौशल तथा बच्चों में जीवन कौशल विकसित करने की क्षमता का विकास करने में सक्षम हो सके। समग्र रूप से प्रस्तावित क्रियात्मक शोध अध्ययन नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अध्यापक में जवाबदेही निर्वहन हेतु आवश्यक क्षमता विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। अध्यापक समावेशी कक्षा-कक्ष वातावरण सृजन करके गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे।

समस्या का क्षेत्र- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहां पर बच्चे की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सकें। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके

ताकि वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शिक्षक सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण सृजित करने का कौशल विकसित कर सकें। किन्तु, समावेशी माहौल सृजित करना एक शिक्षक के लिए बड़ी चुनौती है। किसी भी कक्षा में बहुत-सी विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इन विभिन्नताओं को साथ लेकर शिक्षण कार्य करने का कौशल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विद्यालयों में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की अनुकूलता हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में समावेशी वातावरण के संदर्भ में वस्तुस्थिति क्या है? यह जानना बहुत प्रासंगिक है। अतः क्रियात्मक शोध से पूर्व शोधकर्ता द्वारा डायट के लैब एरिया 5 विद्यालयों के साथ-साथ 2 अन्य विद्यालयों सहित कुल 7 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया। इन विद्यालयों में कक्षावार छात्र-छात्राओं, अध्यापकों का विवरण निम्नवत् है-

तालिका 1

क्र. सं.	*विद्यालय*	*कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या/ कुल छात्र संख्या*	*कक्षा 1*			*कक्षा 2*			*कक्षा 3*			*कक्षा 4*			*कक्षा 5*		
			बालक	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*
	लैब एरिया के विद्यालय																
1.	रा.प्रा.वि. बागेश्वर-प्रथम	1/114	10	10	20	9	8	17	14	14	28	9	13	22	13	14	27
2.	रा.प्रा.वि. बागेश्वर द्वितीय	2/58	7	6	13	5	6	11	3	10	13	3	9	12	6	3	9
3.	रा.प्रा.वि. बिलौना (नवीन)	2/21	3	2	5	0	4	4	2	3	5	1	3	4	2	1	3
4.	रा.प्रा.वि. बिलौना (प्राचीन)	2/57	6	9	15	8	5	13	4	3	7	5	3	8	5	9	14
5.	रा.प्रा.वि. नुमाइसखेत	1/49	6	1	7	3	7	10	3	6	9	8	4	12	1	10	11

	अन्य विद्यालय																
6.	रा.प्रा.वि. द्यांगण	2/19	1	2	3	2	1	3	0	5	5	1	1	2	4	2	6
7.	रा.प्रा.वि. पालनीकोट	3/66	3	7	10	4	9	13	5	8	13	8	5	13	8	9	17
	योग	**13/384**	**36**	**37**	**73**	**31**	**40**	**71**	**31**	**49**	**80**	**35**	**38**	**73**	**39**	**48**	**87**

अनुश्रवण अनुभव एवं विद्यालयों के अध्यापकों से विचार–विमर्श के दौरान एक बात स्पष्टता से सामने आयी कि विद्यालय समावेशी वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

समस्या के कारणों का विश्लेषण– क्रियात्मक शोध के क्रियान्वयन से पूर्व समस्या की गहनता से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता थी। इसके लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर के लैब एरिया के 7 विद्यालयों में से 5 रा. प्रा. विद्यालयों का चयन किया गया। इन विद्यालयों के कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में नामांकित 299 बच्चों को इस क्रियात्मक शोध में सम्मिलित किया गया। इसमें मंतव्य यह था कि क्रियात्मक शोध के दौरान सतत् रूप से भी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की आवश्यकता होगी। क्रियात्मक शोध हेतु चयनित 5 विद्यालयों में कक्षावार छात्रों की संख्या एवं कुल कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका 2

क्र. सं.	*विद्यालय*	*कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या/ कुल छात्र संख्या*	*कक्षा 1*			*कक्षा 2*			*कक्षा 3*			*कक्षा 4*			*कक्षा 5*		
			बालक	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*	*बालक*	*बालिका*	*योग*
	लैब एरिया के विद्यालय																
1.	रा.प्रा.वि. बागेश्वर–प्रथम	1/114	10	10	20	9	8	17	14	14	28	9	13	22	13	14	27

2.	रा.प्रा.वि. बागेश्वर द्वितीय	2/58	7	6	13	5	6	11	3	10	13	3	9	12	6	3	9
3.	रा.प्रा.वि. बिलौना (नवीन)	2/21	3	2	5	0	4	4	2	3	5	1	3	4	2	1	3
4.	रा.प्रा.वि. बिलौना (प्राचीन)	2/57	6	9	15	8	5	13	4	3	7	5	3	8	5	9	14
5.	रा.प्रा.वि. नुमाइसखेत	1/49	6	1	7	3	7	10	3	6	9	8	4	12	1	10	11
	योग	**08/299**												**58**			**64**

समस्या के कारणों का विश्लेषण– इस क्रियात्मक शोध में लैब एरिया के 10 विद्यालयों में से 5 विद्यालय विद्यालयों के कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के कुल (58 + 64) 122 बच्चों का अध्ययन हेतु चयन किया गया। क्रियात्मक शोध के क्रियान्वयन से पूर्व निम्न प्रश्नों की जाच पड़ताल की जानी आवश्यक थी।

1. क्या कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के समस्त बच्चों को कक्षा-कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समावेशी वातावरण उपलब्ध हो पाता है?
2. समावेशी वातावरण सृजित करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक संदर्भों को समझा जाए। क्या इसके लिए बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है?
3. क्या प्रत्येक बच्चे की विषयगत शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण की सुव्यवस्थित प्रणाली है?
4. क्या प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के आँकलन के आधार पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की कोई व्यवस्था है? क्या इसके आधार पर छात्रों को पश्चपोषण (Feedback) प्रदान करने की कोई संस्थागत एवं स्थायी प्रणाली है?

उक्त प्रश्नों के सन्दर्भ में समस्या का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर निम्न परिदृश्य उभर कर सामने आया।

तालिका 3
समस्या के कारणों का विश्लेषण

क्र.सं.	*समस्या के कारण*	*साक्ष्य*	*तथ्य/अनुमान*	*शोधकर्ताओं के नियन्त्रण में है/ नहीं है*
1.	प्रत्येक कक्षा/छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप अध्यापकों की संख्या न होना।	विद्यालय अभिलेख	तथ्य	नहीं है
2.	बच्चों की आवश्यकताओं का आँकलन करने की प्रणाली का अभाव।	विद्यालय शिक्षकों से बातचीत	तथ्य	है
3.	बहु-कक्षा बहु-स्तरीय शिक्षण संबंधी अध्यापक के कौशल/दक्षताओं का अभाव।	अवलोकन/विद्यालय शिक्षकों से बातचीत	तथ्य	है
4.	बच्चों के विषयगत अधिगम स्तर के आँकलन की प्रणाली विद्यमान न होना।	अवलोकन/विद्यालय शिक्षकों से बातचीत	तथ्य	है
5.	बच्चों के विषयगत अधिगम स्तर के आँकलन हेतु आँकलन उपकरण निर्माण की दक्षता का अभाव।	विद्यालय शिक्षकों से बातचीत	अनुमान	है
6.	आँकलन उपकरणों के आधार पर छात्रों के विषयगत अधिगम स्तर आँकलन का अभाव।	विद्यालय के छात्रों/शिक्षकों से बातचीत	तथ्य	है
7.	बच्चों के सतत् एवं व्यापक आँकलन हेतु विद्यालय में उपलब्ध छात्र बॉक्स फाइल (Box File) का उपयोग न करना।	छात्रों की बॉक्स फाइल का अवलोकन	तथ्य	है
8.	बच्चों में अधिगम स्तर की जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में अभिभावकों में उदासीनता।	शिक्षकों एवं विद्यालय के छात्रों/अभिभावकों से बातचीत	अनुमान	नहीं है
9.	बॉक्स फाइल को छात्रों के सतत् एवं व्यापक आँकलन के साधन के रूप में उपयोग करने हेतु अध्यापकों में तत्संबंधी दक्षता की कमी।	विद्यालय के अध्यापकों/छात्रों से बातचीत	अनुमान	है
10.	बहु-कक्षा/बहु-स्तरीय कक्षा में बहु-स्तरीय/बहु-कक्षा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को न अपना पाना।	अवलोकन	अनुमान	है

क्रियात्मक शोध से पूर्व परीक्षण में लैब एरिया के 5 विद्यालयों के कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के कुल 122 बच्चों का परीक्षण किया गया समग्र रूप से अधिगम स्तर या उससे ऊपर तथा अधिगम स्तर से नीचे छात्रों का प्रतिशत निम्नवत था।

तालिका 4

क्र.सं.	*कक्षा 4*	*छात्रों की संख्या*	*प्रतिशत*
1.	अधिगम स्तर या अधिगम स्तर से उच्च स्तर	18	31.03
2.	अधिगम स्तर से निम्न स्तर	40	68.97
	योग	**58**	**100**

तालिका 5

क्र.सं.	*कक्षा 5*	*छात्रों की संख्या*	*प्रतिशत*
1.	अधिगम स्तर या अधिगम स्तर से उच्च स्तर	20	31.25
2.	अधिगम स्तर से निम्न स्तर	44	68.75
	योग	**64**	**100**

इस क्रियात्मक शोध में समस्या समाधान हेतु निम्न तीन क्रियात्मक परिकल्पनाओं का प्रयोग किया गया।

1. *प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना–* यदि अध्यापकों में बच्चों के विषयगत अधिगम स्तर के आँकलन हेतु उपकरण विकसित करने की क्षमता का संवर्द्धन किया जाय तो अध्यापक कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आँकलन कर सकेंगे।
2. *द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना–* अध्यापकों की बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय शिक्षण सम्बन्धी क्षमता का संवर्द्धन किया जाय तो बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करके कक्षा-कक्ष में समावेशी वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
3. *तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना–* विद्यालय में उपलब्ध बॉक्स फाइल को छात्रों की सतत् एवं व्यापक आँकलन हेतु उपकरण के रूप में उपयोग करके छात्रों को उनके अधिगम स्तर के बारे में पश्चपोषण आधारित समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकेगा।

प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा– यदि अध्यापकों में बच्चों के विषयगत अधिगम स्तर के आँकलन करने हेतु उपकरण विकसित करने की क्षमता का संवर्द्धन किया जाये तो अध्यापक बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आँकलन कर सकेंगे। इसके क्रियान्वयन हेतु निम्न रूपरेखा तैयार की गयी है-

तालिका 6

क्र. सं.	*क्रियाएं जो आरम्भ की जानी हैं*	*विधि/प्रविधि*	*अपेक्षित साधन*	*अपेक्षित समय*
1.	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की विषयगत पाठ्यचर्चा का अध्यापक की सहायता से सूचीकरण/ वर्गीकरण करना	समूह कार्य	विद्यालय अध्यापक उपलब्ध पाठ्यचर्चा, विषयगत पाठ्यपुस्तकें	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
2.	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की विषयगत पाठ्यचर्चा के आधार पर दक्षता/संबोध आधारित मानक/ स्तर निर्धारण	समूह कार्य	विद्यालय अध्यापक उपलब्ध पाठ्यचर्चा, विषयगत पाठ्यपुस्तकें	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
3.	अधिगम दक्षता के आँकलन हेतु उपकरण निर्माण हेतु कौशल विकास हेतु अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना	चर्चा-परिचर्चा, प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य	विद्यालय अध्यापक उपलब्ध पाठ्यचर्चा, विषयगत पाठ्यपुस्तकें	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
4.	अध्यापकों की सहायता से विषय आधारित अधिगम स्तर आँकलन हेतु उपकरणों का निर्माण करना	समूह-कार्य, चर्चा-परिचर्चा	विद्यालय अध्यापक उपलब्ध पाठ्यचर्चा, विषयगत पाठ्यपुस्तकें	5 दिन
5.	बच्चे के अधिगम अधिगम स्तर आँकलन हेतु अध्यापकों की सहायता से विकसित अधिगम स्तर आँकलन उपकरणों का प्रयोग करना	समूह कार्य	आँकलन, उपकरण विद्यालय के छात्र, एवं अध्यापक	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
6.	छात्रों के विषयगत अधिगम स्तर के आँकलन हेतु क्रियान्वित उपकरणों के आधार पर प्रत्येक बच्चे की विषयगत आवश्यकताओं का निर्धारण करना	समूह कार्य	क्रियान्वित आँकलन उपकरण,	5 दिन
			योग	**30 दिन**

प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना की सार्थकता की जांच- इस प्रकार प्रथम परिकल्पना के क्रियान्वयन हेतु लैब एरिया के न्यादर्श 5 विद्यालयों में 30 दिनों तक उक्त तालिकानुसार कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की गयीं। इसके पश्चात् कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के प्रत्येक बच्चे की विषयगत अधिगम स्तर का आँकलन किया गया तथा बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया। इसे प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल (बॉक्स फाइल) में समाहित किया गया। इससे अध्यापक कक्षा 4

एवं कक्षा 5 के बच्चों की विषयगत अधिगम स्तर एवं आवश्यकता आँकलन करने की क्षमता प्रदर्शित कर सके।

द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन की रूपरेखा- प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना के लागू करने का लाभ यह हुआ कि कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र का विषयगत अधिगम स्तर का आँकलन करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की सही-सही पहचान हो गयी। इसके बाद अगली जरूरत यह महसूस की जा रही थी कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण तो हो गया है अब कक्षा-कक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जरूरतमंद छात्रों के लिए समावेशी वातावरण का सृजन किस प्रकार किया जाय।

क्रियात्मक शोध हेतु चयनित विद्यालयों में से दो विद्यालयों (रा.प्रा.वि. बागेश्वर (प्रथम), रा.प्रा. वि. बिलौना (नवीन), रा.प्रा.वि. बिलौना (प्राचीन) में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप मानकानुसार अध्यापक कार्यरत नहीं हैं। इन तीनों विद्यालयों में छात्र संख्या- 113,67 एवं 49 के हेतु क्रमश 1,2 एवं 1 अध्यापक/अध्यापिका नियुक्त है। अत: बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय कक्षा-कक्ष एक सामान्य प्रवृत्ति है परन्तु बहु-कक्षा/बहु-स्तरीय कक्षानुरूप बहु-कक्षा/बहु-स्तरीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कक्षा शिक्षण में नहीं अपनाया जा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना लागू कि गयी कि यदि अध्यापकों के बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय शिक्षण संबंधी क्षमता का विकास किया जाय तो कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की संयुक्त कक्षा में प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करके कक्षा-कक्ष एवं शिक्षण अधिगम गतिविधियों में प्रत्येक छात्र को समावेशी वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस द्वितीय परिकल्पना के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित रूप रेखा निर्धारित की गयी।

द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन की रूपरेखा

तालिका 7

क्र.सं.	*क्रियायें जो आरम्भ की जानी हैं*	*विधि/प्रविधि*	*अपेक्षित साधन*	*अपेक्षित समय*
1.	विद्यालय के अध्यापकों से बहु-कक्षा शिक्षण अनुभवों को साझा करना	बातचीत, चर्चा-परिचर्चा, समूह चर्चा	विद्यालय के अध्यापक, अनुसंधाानकर्ता	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
2.	कक्षा में बहु-स्तरीय छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने में अध्यापकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का सूचीकरण करना	चर्चा-परिचर्चा, समूह चर्चा, समूह कार्य	विद्यालय के अध्यापक, अनुसंधानकर्ता	5 दिन (1 दिन प्रति विद्यालय)
3.	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के संदर्भ में बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय शिक्षण हेतु विषयवार उपयुक्त संबोधों का चयन एवं सूचीकरण करना	चर्चा-परिचर्चा, समूह-चर्चा, समूह कार्य	विद्यालय के अध्यापक, अनुसंधानकर्ता	5 दिन

4.	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की बहु–कक्षा एवं बहु–स्तरीय शिक्षण का मॉडल प्रदर्शन एवं अभ्यास	व्याख्यान, पाठ, प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य, प्रोजेक्ट	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के छात्र, अध्यापक, अनुसंधानकर्ता	5 दिन
5.	अध्यापक द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने विद्यालय में कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की संयुक्त कक्षा में बहु–कक्षा एवं बहु–स्तरीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना	व्याख्यान, पाठ, प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य, प्रोजेक्ट	विद्यालय के अध्यापक एवं कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की संयुक्त कक्षा	10 दिन
6.	बहु–कक्षा एवं बहु–स्तरीय कक्षा–कक्ष शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात् छात्रों के विषयगत अधिगम स्तर का आँकलन	समूह कार्य, अवलोकन, प्रश्नोत्तर विधि, परीक्षण	विद्यालय के अध्यापक एवं कक्षा 4 एवं कक्षा 5 की संयुक्त कक्षा	5 दिन
			योग	**35 दिन**

द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना की सार्थकता की जांच– क्रियात्मक शोध के परिप्रेक्ष्य में लागू की गयी द्वितीय परिकल्पना के क्रियान्वयन में लगभग 35 दिन का समय लगा। इसमें कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के छात्रों के विषयगत अधिगम स्तर का आँकलन दक्षता आधारित आँकलन प्रपत्रों/ उपकरणों के माध्यम से किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर छात्रों के विषयगत अधिगम स्तर में संतोषजनक प्रगति दिखायी दी। क्रियात्मक शोध के क्रियान्वयन से पूर्व एवं द्वितीय परिकल्पना के क्रियान्वयन पश्चात् प्राप्त समंकों को निम्न प्रकार वगीकृत किया जा सकता है–

तालिका 8

क्र.सं.	*कक्षा 4*	*क्रियात्मक शोध से पूर्व की स्थिति*		*द्वितीय परिकल्पना के क्रियान्वयन के पश्चात् स्थिति*	
1.	मानक अधिगम स्तर या मानक अधिगम स्तर से उच्च स्तर	18	31.03	45	77.59
2.	मानक अधिगम स्तर से निम्न अधिगम स्तर	40	68.97	13	22.41
	योग	**58**	**100**	**58**	**100**

तालिका 9

क्र.सं.	*कक्षा 5*	*क्रियात्मक शोध से पूर्व की स्थिति*		*द्वितीय परिकल्पना के क्रियान्वयन के पश्चात् स्थिति*	
1.	मानक अधिगम स्तर या मानक अधिगम स्तर से उच्च स्तर	20	31.25	48	75
2.	मानक अधिगम स्तर से निम्न अधिगम स्तर	44	68.75	16	25
	योग	**64**	**100**	**64**	**100**

उक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि छात्रों की आवश्यकता के चिह्नांकन के पश्चात् बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाने से छात्रों के अधिगम स्तर में संतोषजनक प्रगति दिखायी दी।

तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन की रूपरेखा- क्रियात्मक शोध के क्रम में दो परिकल्पनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् निम्न दो क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

1. अध्यापक में (कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों के संदर्भ में) शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान का कौशल विकसित हुआ है, साथ ही अध्यापक/अध्यापिका शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में इसका संदर्भ ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं।
2. विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक-पृथक अध्यापकों की व्यवस्था न होने से कुछ कक्षाओं का संयुक्त संचालन करना एक प्रकार से अनैच्छिक अनिवार्यता है। इसके बावजूद अध्यापकों में बहु-कक्षा एवं बहु-स्तरीय कक्षाओं के संचालन का कौशल विकसित हुआ है। इस प्रकार की कक्षाओं में अध्यापक/अध्यापिका बहु-कक्षा/बहु-स्तरीय शिक्षण अधिगम उपागम अपना रहे हैं। इससे कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को संबोधित कर पा रहे हैं। इसके कमोवेश कक्षा में समावेशी वातावरण के सृजन हेतु आवश्यक वातावरण सृजित हो रहा है।

अधिगम स्तर का आँकलन, छात्र की आवश्यकता निर्धारण एवं समावेशी वातावरण सृजन हेतु बहु-कक्षा/बहु-स्तरीय उपागम अपनाने के बावजूद अभी भी एक चुनौती विद्यमान थी कि छात्र की प्रगति का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाय? वस्तुतः इस सन्दर्भ में कोई सारभूत एवं सुव्यवस्थित प्रणाली अव्वल तो मौजूद ही नहीं थी। यदि थोड़ा बहुत इस सन्दर्भ में काम भी हो रहा था तो वह एकदम अव्यवस्थित एवं तदर्थ स्वरूप का था। विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्देशित बच्चों की बॉक्स फाइल के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु न तो सार्थक उपयोग ही हो रहा था और न ही बॉक्स फाइल के माध्यम से छात्रों को फीड बैक देने की कोई प्रक्रिया अपनायी जा रही थी जिससे कि बच्चों को सीखने में मदद मिल सके। अतः विद्यालयों के अध्यापकों से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपकरण के रूप में उपयोग करने तथा छात्रों को पश्चपोषण प्रदान करने के लिए बॉक्स फाइल के उपयोग हेतु विचार-विमर्श किया

तालिका 10

क्रं. सं.	विषय (जिसकी कक्षाएं आज के दिन हुईं)	क्या सीखा?	किन बिन्दुओं पर उसे और स्पष्टता की आवश्यकता है?	उन बातों का उल्लेख जिनको आज बिल्कुल भी समझ नहीं पाया

गया तथा इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गयी। इस रूपरेखा के महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं– (उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक आदेश भी जारी किया गया है)

1. कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक बच्चा विद्यालय की छुट्टी से पूर्व प्रतिदिन निम्न प्रारूप में अपना फीड बैक प्रस्तुत करेगा।
   अन्य कोई गतिविधि (प्रार्थना सभा/बाल सभा/क्रीड़ा/अन्य कोई) में छात्र में जो विशेष कार्य किया हो (उसका उल्लेख)
2. इसी प्रकार अध्यापक भी प्रत्येक दिन विद्यालय छोड़ने से पूर्व छात्र द्वारा अंकित फीड बैक का अध्ययन करेगा तथा प्राप्त साक्ष्यों का आगामी दिवसों में कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाहित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे की बॉक्स फाइल में उस बच्चे विशेष के संदर्भ में पूरे कार्य दिवस का समग्रता से आँकलन करते हुए पश्चपोषण इस प्रकार देगा, जो बच्चों के सीखने में सहायक हो। इसके लिए निम्नांकित प्रारूप (यदि अध्यापक चाहें तो किसी भिन्न प्रारूप) पर अपना फीड बैक लिखेंगे।

अध्यापकों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रक्रिया सतत् रूप से 30 दिनों तक अपनाने के बाद अध्यापक कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चे के बारे में एक माह के फीड बैक के आधार पर सतत् एवं व्यापक आँकलन करते हुए एक आख्या तैयार करेंगे जिसमें विगत 30 दिनों के फीड बैक का समावेशन किया गया हो।

तालिका 11

क्रं.सं.	संज्ञानात्मक पक्ष		सह-संज्ञानात्मक पक्ष	
	जिन बिन्दुओं पर छात्र ने स्पष्टता की आवश्यकता रेखांकित की है। उन बिन्दुओं पर समाधान (यदि सम्भव है)	विषयगत फीड बैक (यदि कोई उल्लेखनीय बिन्दु है)	एनकडोट (Anecdote)	उल्लेखनीय बिन्दु (यदि कोई हो)

इस प्रकार एक सुव्यवस्थित रणनीति आधार तैयार करने के पश्चात् तृतीय परिकल्पना को लागू किया गया कि यदि कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के छात्रों की बॉक्स फाइल को छात्रों की सतत् एवं व्यापक आँकलन हेतु उपकरण के रूप में प्रयोग करके छात्रों को उनके अधिगम स्तर के बारे में पश्चपोषण आधारित समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकेगा।

तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना के क्रियान्वयन की रूपरेखा– तृतीय परिकल्पना के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित रूपरेखा निर्धारित की गयी।

तालिका 12

क्र. सं.	*क्रियाएं जो आरम्भ की जानी हैं*	*विधि*	*अपेक्षित साधन*	*अपेक्षित समय*
1.	कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों की बॉक्स फाइल सुव्यवस्थित करना एवं बच्चे की अपनी बॉक्स फाइल तक अबाधित पहुंच हेतु व्यवस्था करना	समूह कार्य	बॉक्स फाइल, विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिका, छात्र	10 दिन (2 दिन प्रत्येक विद्यालय)
2.	छात्र द्वारा प्रतिदिन फीड बैक अंकन की प्रक्रिया हेतु कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के बच्चों से बातचीत	समूह चर्चा, विचार-विमर्श	बॉक्स फाइल, विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिकाएं, छात्र	10 दिन (2 दिन प्रत्येक विद्यालय)
3.	बॉक्स फाइल को छात्र को फीड बैक देने की प्रक्रिया पर अध्यापक से विचार-विमर्श	समूह चर्चा, विचार-विमर्श	विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिका, बॉक्स फाइल	10 दिन (2 दिन प्रत्येक विद्यालय)
4.	छात्र एवं अध्यापक द्वारा बॉकस फाइल में दैनिक आधार पर अंकन	समूह कार्य	विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिका कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के छात्रों की बॉक्स फाइल	30 दिन (प्रत्येक विद्यालय में समानान्तर रूप से)
5.	छात्र का सतत् एवं व्यापक आँकलन करते हुए विगत 30 दिनों का समग्र आँकलन करते हुए छात्र की प्रगति की आख्या तैयार करना (आवश्यकता महसूस होने पर अध्यापक बच्चों से विचार-विमर्श कर सकते हैं।)	प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य	विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिका कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के छात्र, बॉक्स फाइल	5 दिन (प्रत्येक विद्यालय में समानान्तर रूप से)
योग				**65 दिन**

तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना की सार्थकता की जांच– इस प्रकार तृतीय परिकल्पना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों को 65 दिनों तक लागू किया गया। इसके पश्चात् विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा तैयार सतत् एवं व्यापक आँकलन आख्या के अध्ययन के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब अध्यापक/अध्यापिका बच्चों की बॉक्स फाइल का सतत् एवं व्यापक आँकलन को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे न केवल छात्र एवं अध्यापक दोनों को उपयोगी फीडबैक प्राप्त हो रहा है वरन् कक्षा–कक्ष में भी समावेशी वातावरण का सृजन हो रहा है।

मूल्यांकन– यह क्रियात्मक शोध माह जुलाई से नवम्बर 2013 तक लगभग 4 माह तक क्रियान्वित किया गया। क्रियात्मक शोध के पश्चात् प्राप्त परिणामों एवं अनुभवों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि यह क्रियात्मक शोध अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से कमावेश सफल कहा जा सकता है। तथापि कतिपय तथ्यों का संदर्भ आवश्यक है।

1. बहु–कक्षा/बहु–स्तरीय शिक्षण एवं अनैच्छिक अनिवार्यता है, यथा सम्भव मानकानुसार एवं कक्षानुसार अध्यापकों की उपलब्धता होनी चाहिए। इस घटक की अनदेखी नहीं की जा सकती, यह एक संक्रमण कालीन स्थिति के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, स्थायी रूप से नहीं।
2. बॉक्स फाइल को छात्र के सतत् एवं व्यापक आँकलन के उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाय इस सन्दर्भ में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
3. विषय–वार अधिगम स्तर के आँकलन हेतु आवश्यक उपकरण निर्माण हेतु अध्यापकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
4. समुदाय, विशेषकर अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वह बॉक्स फाइल के माध्यम से अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जान सकें। इसके लिए अभिभावकों की बॉक्स फाइल तक अबाधित पहुंच की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।